

प्रेस विज्ञप्ति

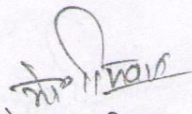
संदर्भ: दे.शा.का./प्रेस विज्ञप्ति

28.10.2016
31

भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून शाखा कार्यालय को आई.एस.आई. मार्क के दुरुपयोग से संबंधित एक मामला प्रकाश में आया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई.एस.आई. मार्क के दुरुपयोग के संबंध में प्रवर्तन संबंधित कार्यवाही नियमित आधार पर की जाती है। उक्त मामले में भा.मा. ब्यूरो द्वारा की गई छापेमारी में मारुति ट्रेडिंग कंपनी, जो कि एफ -47, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार में स्थापित है, को दिनांक 27.10.2016 को बी.आई.एस. अधिनियम 1986 की धारा 11(1) के अंतर्गत आई.एस.आई. मार्क के दुरुपयोग में संलिप्त पाया गया।

उक्त छापेमारी की कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा की गई। इस छापेमारी के दौरान आई.एस.आई. मार्क के दुरुपयोग से पीवीसी पाइप बरामद किये गये।

उक्त मामले में बी.आई.एस. अधिनियम 1986 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है।


मोहम्मद रिजवान
वैज्ञानिक- सी

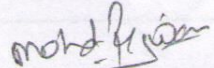
मोहम्मद रिजवान/Mohammad Rizwan
वैज्ञानिक-सी/Scientist-C
भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय
Bureau of Indian Standards, Branch
सी-43, सेक्टर-1, डिफेंस कॉलोनी,
C-43, Sector-1, Defence Colony, Dehra-

PRESS RELEASE

Bureau of Indian Standards, Dehradun Branch Office with the help of Haridwar City Kotwali Police conducted a raid on 27.10.2016 at the premises of M/s. Maruti Trading Company, F-47, Old Industrial Area, Haridwar.

During the raid, violation of section 11(1) of BIS Act 1986 has been detected & spurious PVC pipes with ISI mark were seized as material evidence.

Action was initiated in the matter as per BIS Act 1986.


Mohammad Rizwan
Sc. C

मौहम्मद रिज़वान/Mohammad Rizwan
वैज्ञानिक-सी/Scientist-C
भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय
Bureau of Indian Standards, Branch Office
सी-43, सेक्टर-1, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून
C-43, Sector-1, Defence Colony, Dehradun